(47)

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०सं०–पि०व०/बजट–30–02/2015 (खण्ड–I)– 992

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 30/6/26

विषयः– अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में विद्युत खपत में मितव्ययिता के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है की विभागान्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के संधारणार्थ विद्युत प्रभार मद में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत राशि उपलब्ध कराई जाती है। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के संधारणार्थ विद्युत प्रभार मद में आवंटित राशि का उपयोग विद्यालय भवन (विद्यालय छात्रावास सहित) के लिए किया जाना होता है।

अतः अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में विद्युत खपत की मितव्ययिता हेतु निम्नांकित निदेश दिया जाता है:–

(1) सभी जिलों में अवस्थित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के लिए संबंधित जिला के विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों में विद्युत कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क (Contact) स्थापित करते हुए विद्यालय भवन (विद्यालय छात्रावास सहित) के लिए अलग विद्युत मीटर (Electric-Meter) अधिष्ठापित करने की कार्रवाई करते हुए सामान्य रूप से विद्यालय हेतु विद्युत प्रभार मद में आवंटित राशि का व्यय केवल उक्त विद्युत मीटर से जनित्र विद्युत विपत्र (Generated Electricity Bill) के भुगतान के लिए किया जाय।

(2) अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर के लिए कर्णाकिंत आवासों का विद्युत कनेक्शन विद्यालय भवन (विद्यालय छात्रावास सहित) से विच्छेद (Separate) करते हुए प्रत्येक आवास के लिए अलग–अलग नियमानुसार विद्युत मीटर अधिष्ठापित करने की कार्रवाई यथाशीघ्र की जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक आवास के लिए बिजली बिल का भुगतान संबंधित आवासीय (प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर) द्वारा ही किया जायेगा।

(3) अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में विद्युत खपत की मितव्ययिता हेतु सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि बल्ब, पंखा एवं वैसे उपकरण जो विद्युत से चालित होते हों, को आवश्यकतानुसार ही चालु करेगें तथा आवश्यकता समाप्त होने के उपरांत विद्युत चालित उपकरणों को तुरंत स्वीच–ऑफ कर दिया जायेगा।

उपरोक्त का अनुपालन अविलम्ब करते हुए इसका अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
30/6/26
(अनिल कुमार ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक--पि०व०/बजट–30–02/2015 (खण्ड–I)– 992

पटना, दिनांक– 30/6/26

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी अनुमंण्डल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/6/26
सरकार के अपर सचिव।

D/Kundan-2/Draft (p)